

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां0नि0/अग्रिम अध्ययन/2018/230

दिनांक:- 29-01-2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।	पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1.	शीला कुमारी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, अलसीसर, झुन्झुनू
2.	रामप्रताप स्वामी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर
3.	ताहिर वसीम	सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर
4.	किरण कुमारी	एम0ए0(Geography) प्रीवियस	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू
5.	भगत सिंह	एम0ए0(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) विद्याशाला, जोधपुर
6.	दीपा खेमानी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 एवं स्टेनोग्राफर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
7.	ज्ञान सिंह चौधरी	एम0ए0(इकोनोमिक्स) फाईनल	पर्यटन निदेशालय, जयपुर

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राज्य के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश देय होगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भटनागर)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

✓ संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

2. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),